

शाखा प्रबन्धक

शाखा सिमरत

विषय :- अमानतों पर देय ब्याज दर में संशोधन के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सहकारी बैंकों एवं शाखाओं की मांग के आधार तथा प्राईवेट बैंकों से अमानतों में प्रतिस्पर्धा करने हेतु ब्याज दरों में संशोधन निम्नानुसार किया जाता है :-
जो दिनांक 17.02.2018 से प्रभावी होगी।

क्र. सं.	जमाएं व अवधि	दर
1	बचत खाता	4.00 प्रतिशत
2	सावधि जमाएं	
	1) 07 से 14 दिवस	4.00 प्रतिशत
	2) 15 से 29 दिवस	4.15 प्रतिशत
	3) 30 से 45 दिवस	5.50 प्रतिशत
	4) 46 से 60 दिवस	6.50 प्रतिशत
	5) 61 से 90 दिवस	6.75 प्रतिशत
	6) 91 से 179 दिवस	6.80 प्रतिशत
	7) 180 से 270 दिवस	6.90 प्रतिशत
	8) 271 से 1 वर्ष से कम	6.90 प्रतिशत
	9) 1 वर्ष व 2 वर्ष से कम	7.10 प्रतिशत
	10) 2 वर्ष व 3 वर्ष से कम	7.15 प्रतिशत
	11) 3 वर्ष व 5 वर्ष से कम	7.20 प्रतिशत
	12) 5 वर्ष व अधिक	7.30 प्रतिशत

नोट :-

- बचत खातों पर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार दिनांक 01.04.2010 से दैनिक आधार पर ब्याज की गणना की जाएगी।
- वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष व अधिक) को 0.50 प्रतिशत अधिक ब्याज सावधि व आवर्ती जमाओं पर देय होगा जो रु. 10,000/- की सावधि जमा कम से कम तथा एक वर्ष की समयावधि हों।
- बैंक स्टाफ को 1 प्रतिशत अधिक ब्याज का भुगतान किया जायेगा जिसके लिए कर्मचारी द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जायेगा कि उक्त राशि स्वयं की है।
- समय पूर्ण भुगतान लेने पर सावधि जमाओं पर 1 प्रतिशत ब्याज की कटौती की जायेगी किन्तु पुनः नवीनीकरण कराने पर दण्डनीय ब्याज नहीं लिया जायेगा।

(पी.पी. सिंह)

प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : एनसीसीबी/ले. व वि./2017-18/14712-31

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक : 12-2-18

1. श्रीमान् प्रशासक महोदय, बैंक नागौर।
2. अधिशाषी अधिकारी/अति. अधिशाषी अधिकारी, बैंक प्रधान कार्यालय, नागौर।
3. वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रबन्धक () प्रधान कार्यालय, नागौर।

प्रबन्ध निदेशक